संख्या- 30 /2024/001-523 -24-1-2024-1934-2021

प्रेषक,

प्रभंजन यादव,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0,
शक्ति भवन, लखनऊ।

ऊर्जा अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 22 मार्च, 2024

विषयः- वित्तीय वर्ष 2023-24 में रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम के अन्तर्गत हानियों में कमी संबंधी कार्य हेतु प्राप्त केन्द्रीय अनुदान के सापेक्ष समायोजन द्वारा अंशपूँजी की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक (वित्त), उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 के पत्र संख्या-1673/अधि0नि0(वित्त)/निधि-2/आय-व्ययक 2023-24/436, दिनांक 20 मार्च, 2024 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान संख्या-9 के लेखाशीर्ष-4801-05-190-03-0301-30 में प्राविधानित धनराशि रूपये 3420,00,00,000/- (रूपये तीन हजार चार सौ बीस करोड़ मात्र) के सापेक्ष अवशेष धनराशि रूपये 1847,73,03,343/- (रूपये एक हजार आठ सौ सैंतालिस करोड़ तिहत्तर लाख तीन हजार तीन सौ तैंतालिस मात्र) में से प्राप्त केन्द्रीय अनुदान की धनराशि रूपये 197,68,44,000/- (रूपये एक सौ सत्तानवे करोड़ अड़सठ लाख चौवालिस हजार मात्र) स्वीकृत कर आहरित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष अनुमति प्रदान करते है।

नियम व शर्तें / प्रतिबन्धों

(1) उक्त प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि का आहरण पुस्तक समायोजन के द्वारा किया जायेगा।

(2) प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु कारपोरेशन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रपत्र संख्या-42जी/शुद्ध पत्र संख्या-426, दिनांक 13 जुलाई, 1971 द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर बिल बनाकर प्रतिहस्ताक्षर हेतु ऊर्जा अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(3) प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष समय-समय पर व्यय की गयी धनराशि का सम्पूर्ण विवरण यथा कोषागार का नाम जहाँ से धनराशि आहरित की गयी है, बाउचर संख्या, आहरण की तिथि, लेखाशीर्षक आदि तथा आहरित धनराशि के संबंध में उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ/प्रयागराज और ऊर्जा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को नियमानुसार उपलब्ध कराने की बाध्यता होगी।

(4) इस शासनादेश में निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन निदेशक (वित्त), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) प्रस्तर-1 में रिवैम्प्ड योजना अन्तर्गत प्रस्तावित कार्यों हेतु केन्द्रीय अनुदान की धनराशि रूपये 197,68,44,000/- (रूपये एक सौ सत्तांनवे करोड़ अड़सठ लाख चौंवालिस हजार मात्र) को लेखाशीर्षक" 0801- बिजली-06- ग्रामीण विद्युतीकरण-800-अन्य प्राप्तियाँ-01- ग्रामीण विद्युतीकरण निगम से प्राप्तियाँ के नामे डाला जायेगा।

(6) वित्त (आय व्ययक) अनुभाग 1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 17 मार्च, 2023 एवं अन्य सुसंगत शासनादेशों की शर्तो/दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 1,97,68,44,000 (रुपये एक अरब सत्तानवे करोड़ अड़सठ लाख चवालीस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 009 लेखा शीर्षक 4801051900301 हानियों में कमी हेतु कराये जाने वाले कार्यों के लिये यू.पी.पी.सी.एल.को अंशपूंजी (के-60/रा0-40के0) मानक मद 30 निवेश/ऋण के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या E-10-187-X-2023-24-दिनांक:22-3-2024 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(प्रभंजन यादव)
अनु सचिव।

संख्या- 30 /2024/001-523(1) -24-1-2024-1934-2021, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, (लेखा एव हकदारी) प्रथम, उ0प्र0, सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज-211001
2- प्रधान महालेखाकार,(लेखा परीक्षा)-प्रथम, 15 ए, दयानन्द मार्ग, सिविल लाइन, प्रयागराज-211001
3- कार्यालय प्रधान महालेखाकार(लेखापरीक्षा-।।), उ0प्र0, आडिट भवन, टी0सी0-35-वी-1, विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ।
4- सचिव, ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
5- ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लि0, नई दिल्ली।
6- मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-10/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/राज्य योजना आयोग अनुभाग-1/गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(प्रभंजन यादव)
अनु सचिव।